<u>अतिमहत्वपूर्ण/समबयद्ध</u>

<u>संख्या-12/2017/1926/29-6-2017-162सा/01</u>

प्रेषक,

निवेदिता शुक्ला वर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-6 लखनऊः दिनांक:19सितम्बर,2017

विषयः- प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की रिक्त उचित दर दुकानों के चयन एवं निलम्बित दुकानों की जांच पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासन स्तर पर की गयी समीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि प्रदेश में 322 शहरी एंव 373 ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर दुकानें रिक्त चल रही हैं तथा परिसीमन के बाद बढ़ी हुई ग्राम पंचायतों में 698 उचित दर दुकानों का चयन अवशेष है। इस प्रकार 4000 से अधिक उचित दर दुकानों पर अभी तक चयन न होने तथा उचित दर दुकानों के निलम्बित होने के कारण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न, चीनी एवं मिट्टी का तेल प्राप्त करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में रिक्त चल रही उचित दर दुकानों के चयन एवं निलम्बित दुकानों की जांच पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में निम्न कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर करायी जाय :-

(1) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की रिक्त उचित दर दुकानों के चयन के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-2714/29-6-2002-162सा/01,दिनांक 17-08-2002 एवं शासनादेश संख्या-2715/29-6-2002-162सा/01,दिनांक 17-08-2002,शासनादेश संख्या-744/29-6-2003-162सा/01, दिनांक 21-02-2003 एवं शासनादेश संख्या-311/29-6-2008-162सा/01टीसी, दिनांक 01-02-2008 का अनुपालन कराते हुए चयन की कार्यवाही की जाय।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों के उचित दर दुकानों के चयन हेतु आरक्षण की गणना कराते हुए ग्रामसभा वार रिक्त उचित दर दुकानों के चयन हेतु खुली बैठक सम्बन्धी समय-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सारिणी तैयार करा ली जाय तथा प्रत्येक ब्लाक स्तर पर इस हेतु एक जिला स्तरीय अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाय एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत (जिसमें उचित दर की दुकान रिक्त है) स्तर पर ब्लाक स्तरीय अधिकारी/कर्मचारी की ड्यूटी पर्यवेक्षक के रूप में लगाते हुए निर्धारित तिथि पर नियमानुसार चयन सम्बन्धी कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

(3) शहरी क्षेत्र में उचित दर दुकानों की चयन हेतु निर्धारित आरक्षण व्यवस्था का अनुपालन करते हुए विज्ञप्ति का प्रकाशन कराकर आवेदनकर्ताओं के आवेदन प्राप्त कर उनकी जांच जिला चयन समिति के समक्ष लाटरी पद्धति से चयन हेतु समयबद्ध रूप से कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कराते हुए निर्धारित तिथि पर रिक्त उचित दर दुकानों के सापेक्ष चयन की कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

(4) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की निलम्बित उचित दर दुकानों की जांच की कार्यवाही शासनादेश संख्या-2829/29-6-2014-162सा/01टीसी, दिनांक 26-11-2014 के अनुक्रम में एक माह में पूर्ण करा ली जाय।

3- अतः शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की रिक्त उचित दर दुकानों को भरे जाने तथा निलम्बित दुकानों की जांच पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में विशेष अभियान चलाकर एक माह में कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
निवेदिता शुक्ला वर्मा
प्रमुख सचिव।

संख्या-12/2017/1926(1)/29-6-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग,उ0प्र0लखनऊ।
2- समस्त संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त (खाद्य) उ0प्र0।
3- समस्त जिला पूर्ति अधिकारी,उ0प्र0।
4- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,
(ए0पी0 त्रिपाठी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।